

बैंक प्रकरण संख्या 40/2021(GCMS : 2021/109) पंजाब नेशनल बैंक, शाखा
जैड, श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, श्री निशान्त खुराना,
पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल SASTRA केन्द्र, प्रथम तल, मण्डल कार्यालय, नजदीक
नीच चौक, श्रीगंगानगर (राज.) बनाम 1. श्री सुखवन्त सिंह पुत्र पाल सिंह निवासी
गांव चक 20 जैड, ग्राम पंचायत 3 एच छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर 2.
श्रीमती हरबंस कौर पत्नी श्री पाल सिंह निवासी गांव चक 20 जैड, ग्राम पंचायत 3
एच छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर 3. पुरषोतम सिंह पुत्र जंगीर सिंह
निवासी गांव 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर



24.07.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित
हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय
आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002
की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 26.07.2021 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक द्वारा
अप्रार्थीगण सुखवन्त सिंह, हरबंस कौर एवं पुरषोतम सिंह को ऋण सुविधा के रूप में
कुल 7.50/- लाख रुपये (अखरे रुपये सात लाख पचास हजार रुपये मात्र) का
ऋण दिनांक 04.03.2016 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी
सुखवन्त सिंह की चल सम्पत्ति Hypothecation of Combine Harvester Bearing
Registration No. PB-31-E-6799, Make : 985, Model 2006, Engine No. 065944, Chasis
No. C2K60034 को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी
द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है
जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 31.03.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.)
के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 31.03.2021 को
6,41,328/ रुपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के
बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस
दिनांक 15.04.2021 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने के लिए जारी किया गया।

जिला माजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर



उक्त धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 19.04.2021 से भिजवाये गये है। जिसकी पावती के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास दृष्टि बंधक रखी गई अप्रार्थी सुखवंत सिंह की चल सम्पत्ति Hypothecation of Combine Harvester Bearing Registration No. PB-31-E-6799, Make : 985, Model 2006, Engine No. 065944, Chasis No. C2K60034 का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी सुखवंत सिंह को 7.50/- लाख रुपये (अखरे रुपये सात लाख पचास हजार मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 04.03.2016 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सुखवंत सिंह ने अपनी चल सम्पत्ति Hypothecation of Combine Harvester Bearing Registration No. PB-31-E-6799, Make : 985, Model 2006, Engine No. 065944, Chasis No. C2K60034 प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 31.03.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 15.04.2021 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 19.04.2021 को भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। अप्रार्थी के धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला नजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी सुखवंत सिंह की चल सम्पत्ति Hypothecation of Combine Harvester Bearing Registration No. PB-31-E-6799, Make : 985, Model 2006, Engine No. 065944, Chasis No. C2K60034, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 15.04.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 15.04.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 19.04.2021 को भिजवाये गये है, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी सुखवंत सिंह के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी सुखवंत सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई चल सम्पत्ति Hypothecation of Combine Harvester Bearing Registration No. PB-31-E-6799, Make : 985, Model 2006, Engine No. 065944, Chasis No. C2K60034 का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अंशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर
श्री गंगानगर